

अपेक्षति क्रेडिटि घाटा - हानिआधारति ऋण प्रावधान के मानदंड

प्रलिमिंस के लयि:

अपेक्षति क्रेडिटि घाटा (ECL) [गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तयिँ](#), RBI, ऋण प्रावधान

मेन्स के लयि:

ऋण हानिकी समस्या, बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रजिस्व बैंक \(RBI\)](#) द्वारा घोषणा की गई कि बैंकों को अपेक्षति क्रेडिटि घाटा (ECL)- हानिआधारति ऋण प्रावधान के मानदंडों को लागू करने के लयि पर्याप्त समय दिया जाएगा ।

अपेक्षति क्रेडिटि घाटा - हानिआधारति ऋण प्रावधान के मानदंड:

■ पृष्ठभूमि:

- RBI ने पहले क्रेडिटि हानिपर [ECL](#) को **अपनाने का प्रस्ताव** दिया था, जिसके लयि अंतमि दशि-नरिदेश जारी होने के पश्चात् बैंकों को कार्यान्वयन के लयि एक वर्ष का समय दिया गया था ।
- इसके **अंतमि दशि-नरिदेशों की घोषणा की जानी बाकी है** , हालाँकि यह उम्मीद की जाती है कि बैंकों को 1 अप्रैल, 2025 के कार्यान्वयन के लयि वत्ति वर्ष 2024 तक अधिसूचति कथि जा सकता है ।
- [भारतीय बैंक संघ \(IBA\)](#) ने RBI से अनुरोध कथि है कि ECL मानदंडों के कार्यान्वयन के लयि ऋणदाताओं को एक अतरिकित वर्ष का समय और प्रदान कथि जाए ।

■ परचिय:

- RBI ने ऋण चूक के मामले में **बैंकों को प्रावधान के तहत अपेक्षति हानि (EL)-आधारति दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया है** ।
- इसके तहत बैंकों की **वत्तितीय संपत्तयिँ को तीन श्रेणयिँ (स्टेज 1, स्टेज 2, या स्टेज 3)** में से एक में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी ।

■ परसिंपत्तयिँ का वर्गीकरण:

○ चरण 1 परसिंपत्तयिँ:

- ये वत्तितीय परसिंपत्तयिँ हैं **जनिहोंने अपनी प्रारंभिक मानयता के बाद से क्रेडिटि जोखमि में महत्त्वपूर्ण वृद्धिका अनुभव नहीं कथि है** या उनके पास रपिर्टगि तथिपर कम क्रेडिटि जोखमि है ।
 - इन परसिंपत्तयिँ के लयि **12 महीने की अपेक्षति क्रेडिटि हानयिँ** की पहचान की जाती है और ब्याज राजस्व की गणना परसिंपत्तयिँ की सकल अग्रणीत राशि के आधार पर की जाती है ।

○ चरण 2 परसिंपत्तयिँ:

- ये ऐसे वत्तितीय साधन हैं **जनिहोंने अपनी प्रारंभिक मानयता के बाद से क्रेडिटि जोखमि में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है**, हालाँकि इनके पास हानि का कोई वस्तुनषिठ प्रमाण नहीं है ।
- इन परसिंपत्तयिँ के लयि **जीवनपर्यंत प्रत्याशति ऋण हानयिँ की पहचान की जाती है** लेकिन ब्याज राजस्व की गणना अभी भी परसिंपत्तयिँ की सकल अग्रणीत राशि के आधार पर की जाती है ।

○ चरण 3 परसिंपत्तयिँ:

- ये ऐसी वत्तितीय परसिंपत्तयिँ हैं **जनिके पास रपिर्टगि तथिपर हानि का वस्तुनषिठ प्रमाण है** ।
 - इन परसिंपत्तयिँ के लयि आजीवन अपेक्षति ऋण हानिकी पहचान की जाती है और ब्याज राजस्व की गणना शुद्ध वहन राशि के आधार पर की जाती है ।

■ लाभ:

- अपेक्षति ऋण हानि दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप **बैंकिंग प्रणाली के लचिलेपन को बढ़ाएगा** ।
- उपगत हानि दृष्टिकोण के तहत देखी गई कमी की तुलना में इसके परिणामस्वरूप उच्च प्रावधान होने की अपेक्षा है ।

■ ECL बनाम IL मॉडल:

- यह नया दृष्टिकोण मौजूदा "उपगत हानि (Incurred Loss- IL)" मॉडल को प्रतिस्थापित करता है जो ऋण हानि प्रावधानीकरण में वलिब करता है तथा संभावित रूप से बैंकों के लिये क्रेडिट जोखिम बढ़ाता है।
- IL मॉडल में गंभीर दोष यह था कि सामान्यतः बैंकों ने उधारकर्त्ता को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के बाद देरी से अनुकूल प्रावधान किये, जिससे उनका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया। इससे प्रणालीगत समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
- इसके अलावा ऋण हानियों की देरी से पहचान के कारण बैंकों के राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिससे लाभांश वितरण के साथ-साथ संस्थानों के पूंजी आधार में काफी कमी आई।
- संक्रमणकालीन व्यवस्था:
 - पूंजीगत हानियों को रोकने हेतु RBI ने ECL मानदंडों की शुरुआत हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।
 - यह चरणबद्ध कार्यान्वयन बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को कम करने में मदद करेगा।

ऋण-हानि प्रावधान की अवधारणा:

■ परिचय:

- ऋण-हानि प्रावधान, जैसा कि RBI द्वारा परिभाषित किया गया है, बैंकों द्वारा डिफॉल्ट किये गए ऋणों से होने वाले नुकसान को कवर करने हेतु अलग रखे गए धन के आवंटन को संदर्भित करता है।
- सरल शब्दों में यह नकदी का एक भंडार है जिससे बैंक अपने ऋण चुकाने में उधारकर्त्ताओं की वफाई के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को प्रभाव को कम करने हेतु रखते हैं।

■ प्रावधान:

- यह प्रावधान बैंक के आय वितरण पर व्यय के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब उधारकर्त्ताओं के अपने ऋण चुकाने की संभावना नहीं होती है।
- ऋण-हानि भंडार का उपयोग करके बैंक अपने नकदी प्रवाह में प्रत्यक्ष कमी का सामना करने के बजाय होने वाले नुकसान को शामिल कर सकते हैं।
- उदाहरण:

- एक ऐसे परिदृश्य पर विचार कीजिये जहाँ एक बैंक ने कुल 100,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण जारी किया है और उसके पास 10,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण हानि प्रावधान है।
- यदि कोई उधारकर्त्ता 1,000 अमेरिकी डॉलर के ऋण पर चूक करता है लेकिन केवल 500 अमेरिकी डॉलर चुकाता है, तो बैंक हानि को कवर करने के लिये ऋण हानि प्रावधान से 500 अमेरिकी डॉलर की कटौती कर लेगा।

■ निर्धारक तत्त्व:

- बैंक की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक अपेक्षित स्तर के आधार पर ऋण हानि प्रावधान का स्तर निर्धारित किया जाता है।

ऋण हानि प्रावधानों के लिये वर्तमान दृष्टिकोण

- भारत में बैंक ऋण हानि प्रावधान करने के लिये ऋण-हानि मॉडल का अनुसरण करते हैं।
 - यह मॉडल मानता है कि सभी ऋणों का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि साक्ष्य अन्यथा सुझाव न दें, जैसे कि एक महत्वपूर्ण घटना जो हानि का संकेत देती है।
 - केवल जब ऐसी घटना घटती होती है तो बगिड़ा हुआ ऋण या ऋण का पोर्टफोलियो कम मूल्य पर लिखा जाता है।

चुनौतियाँ:

- व्यय में हुई हानि के दृष्टिकोण से बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है जो पहले ही हो चुके हैं।
 - हालाँकि वर्ष 2007-09 के वित्तीय संकट के दौरान अपेक्षित हानि की इस देरी से पहचान ने मंदी को और नष्ट कर दिया।
 - जैसे-जैसे प्रणाली में चूक बढ़ती गई, ऋण हानियों की देरी से पहचान के कारण बैंकों ने अपने पूंजीगत भंडार को कम करते हुए उच्च प्रावधान करने पर मजबूर किया है।
 - बदले में इसने बैंकों के लचीलेपन को कमजोर कर दिया और प्रणालीगत जोखिम पैदा कर दिया।
- इसके अतिरिक्त ऋण हानियों को पहचानने में देरी के कारण बैंकों की उत्पन्न आय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।
- लाभांश भुगतान के साथ संयुक्त रूप से इसने आंतरिक संसाधनों को कम करके उनके लचीलेपन से समझौता कर उनके पूंजी आधार को प्रभावित किया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) वह राशि है जिससे बैंकों को अपनी नधियों के रूप में रखना होता है जिससे वे, यदि खाता-धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है, तो उसका प्रतिकार कर सकें।
2. CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग-अलग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) एक बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिससे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।
- यह वह राशि है जिससे बैंकों को अपने स्वयं के धन के रूप में बनाए रखना होता है ताकि खाताधारकों द्वारा बकाया चुकाने में वफिल रहने पर बैंकों को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई की जा सके। **अतः कथन 1 सही है।**
- CAR के तहत दो प्रकार की पूंजी मापी जाती है:
- **टियर 1 पूंजी:** यह प्रमुख पूंजी है, जिसमें इक्विटी पूंजी, साधारण शेयर पूंजी, अमूर्त संपत्ति और ऑडिटेड रेवेन्यू रज़िर्व शामिल हैं।
- **टियर 2 पूंजी:** इसमें गैर लेखापरीक्षित आय, गैर लेखापरीक्षित रज़िर्व और सामान्य हानि रज़िर्व शामिल हैं।
- $CAR = (\text{टियर 1 पूंजी} + \text{टियर 2 पूंजी}) / \text{जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ}$
- वाणज्यिक बैंकों को अतिरिक्त लेवरेज लेने और दवालयि होने से रोकने के लिये CAR का नरिणय केंद्रीय बैंक अथवा भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
- बेसल III मानदंडों ने 8% जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिये पूंजी नरिधारित की। भारतीय रज़िर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, भारतीय अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों को 9% CAR बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जबकि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये यही मानक 12% है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/expected-credit-loss-based-loan-loss-provisioning-norms>

